नकल छायाप्रति आदेश दिनांक 18-4-2018 (आवेदन के अनुसार) वाद सं0 11-17-18 ह0 प0 परशुराम द्विवेदी महाविद्यालय जगम्मनपुर प्रबन्धक श्रवण कुमार द्विवेदी बनाम ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत जगम्मनपुर परगना माधौगढ़ न्यायालय उपजिलाधिकारी माधौगढ़ ता0 फै0 18-4-2018।

प्रतिलिपि विभाग

कलेक्ट्रेट उरई (जालौन) संख्या 11/17-18

न्यायालय उप जिलाधिकारी माधौगढ़।

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0

मोजा0 जगम्मनपुर परगना माधौगढ़

पं0 स्वः परशुराम द्विवेदी महाविघलय जगम्मनपुर प्रबन्धक श्रवण कुमार द्विवेदी निवासी मोहल्ला राजेन्द्र नगर उरई जिला जालौन।

बनाम

ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत जगम्मनपुर

:-निर्णयः-

प्रस्तुत बाद प्रबन्धक श्रवण कुमार द्विवेदी पुत्र दयाराम द्विवेदी नि0 राजेन्द्र नगर उरई जनपद जालौन द्वारा ग्राम पंचायत प्रधान जगम्मनपुरपर0 माधौगढ को प्रतिवादी बनाते हुए इस आशय से प्रस्तुत किया कि मौजा जगम्मनपुर की स्थित आरजी कई वर्ष पूर्व कृषि भूमि थी जिसका विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया कि मौजा जगम्मनपुर की आ0सं 0347 रकवा 0.526 हे0 लगान 4.65 पैसा खाता सं0 00368 जो महाविद्यालय के नाम खरीदी गयी है जिसका बादी प्रबन्धक है मोके पर खेती नही होती है उपरोक्त आराजी के कुछ भाग में इमारत बनने जा रही है उपरोक्त आराजी हमशक्ल आबादी हैं आवादी दर्ज कराने एंव लगान माफ कराने की प्रर्थना की गयी हैं।

नियमानुसार तहसील से जॉच कराई गयी बाद प्राप्त जॉच आख्या प्रतिवादी को नोटिस भेजा गया जो बाद तामील शामिल मिसिल हुआ तथा तहसील से जॉच आख्या शामिल हुयी।

मैने बादी पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के बहस एंव तर्को को सुना एंव पत्रावली पर उपलब्ध लेखपाल द्वारा जारी नकल खसरा व कम्प्यूटराइज नकल खतौनी व तहसील से प्राप्त जॉच आख्या का अवलोकन किया अवलोकन से विद्वत हुआ कि मौजा जगम्मनपुर की आराजी संख्या 347 रकवा 0.526 कुलकिता 1 जो खसरे में आवादी के रूप में दर्ज है तथा स्वः पं0 परशुराम द्विवेदी जगम्मनपुर के प्रयोजन हेतु क्रय की गयी है पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो से स्पष्ट होता है कि यह कृषि प्रयोजन एंव महाविद्यालय निर्माण एंव व्यवसायिक हेतु आवादी दर्ज कराना चाहता है ऐसी स्थिति में उक्त रकवे को ज0वि0अधि0 एंव भू0व्य0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत कृषि प्रयोजन कुक्कुट पालन, वागवानी से भिन्न प्रयोजन हेतु दर्ज किये जाने में कोई कानूनी बैधानिक अड़चन नही हैं। दावा बादी डिग्री किये जाने योग्य हैं।

आदेश

दावा वादी डिग्री किया जाती है कि मौजा जगम्मनपुर की खाता खतौनी सं0 368 पर दर्ज आराजी सं0 347 रकवा 0.526 और मालगुजारी 4.65 पैसा व खतौनी खाता सं0 368 गाटा सं0 347 रकवा 0.526 कुल 1 किता 0.526 मालगुजारी 4.65 पैसा को कृषि प्रयोजन कुक्कुट पालन, वागवानी, मतस्य संवर्धन हेतु प्रख्यापित किया जाता है तथा मालगुजारी उपरोक्तानुसार कम की जावे तदानुसार अमलदरामद परवाना जारी हो पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवही दा0द0 की जावें।

दिनांकः- 18.4.2018

सौजन्य कुमार विकास
उपजिलाधिकारी माधौगढ़

आज यह आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायलय में हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया है।

दिनांकः- 18.04.2018

सौजन्य कुमार विकास
उपजिलाधिकारी माधौगढ़

प्रमाणित-प्रति
12-4-19
अभिलेखपाल (माल)

प्रतिलिपिकर्ता
मुकाबलाकार